अध्याय 3
सेवा की सामान्य शर्तें
GENERAL CONDITIONS OF SERVICE

10. इस नियम द्वारा की गयी व्यवस्था के सिवाय कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में किसी स्थायी पद पर स्वास्थ्य का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र के बिना मौलिक रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। चिकित्सीय प्रमाण-पत्र ऐसे प्रपत्र में दिया जाएगा और उस पर ऐसे चिकित्सक या अन्य अधिकारियों द्वारा, जिन्हें राज्यपाल सामान्य नियम या आदेश द्वारा विहित करें, हस्ताक्षर किया जाएगा। राज्यपाल, व्यक्तिगत मामलों में प्रमाण-पत्र देने से विमुक्त कर सकते हैं, और किसी सामान्य आदेश द्वारा किसी निर्दिष्ट वर्ग के सरकारी सेवकों को इस नियम के प्रवर्त्तन (operation) से छूट दे सकते हैं।

[यह संशोधन दिनांक 17 मार्च, 1973 से प्रभावी हुआ माना जायगा।]

नियम 10 से सम्बन्धित राज्यपाल के आदेश

एक बार जब किसी व्यक्ति से सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए स्वस्थता का चिकित्सीय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिए कह दिया जाता है और वास्तव में उसकी चिकित्सीय परीक्षा कर ली गई हो और उसे अस्वस्थ घोषित कर दिया गया हो तब नियुक्ति-अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह प्रस्तुत किये गये चिकित्सा प्रमाण-पत्र की उपेक्षा कर दे।

[इस नियम के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा बनाये गये नियमों के लिए इस खण्ड के भाग 3 (सहायक नियम) का अध्याय 3 देखिये।]

11. जब तक कि किसी मामले में स्पष्ट रूप से अन्यथा कोई व्यवस्था न की गई हो, सरकारी कर्मचारी का पूर्ण समय सरकार के अधीन है और आवश्यकतानुसार समुचित अधिकारी द्वारा वह किसी भी प्रकार की सेवा में लगाया जा सकता है। इसके लिए वह किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के लिए दावा नहीं कर सकता, चाहे उससे जो सेवा ली जाए। वह ऐसी हो कि जिसका पारिश्रमिक साधारणतया प्रदेश के राजस्व से स्थानीय निधि से या किसी संयुक्त या अन्य ऐसे निकाय की निधि से दिया जाए जो पूर्ण या मुख्य रूप में शासन के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो।

12. (क) दो या उससे अधिक सरकारी कर्मचारी एक ही समय में एक ही स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किये जा सकते।

(ख) केवल अस्थायी प्रबन्ध को छोड़कर, कोई सरकारी कर्मचारी दो या उससे अधिक स्थायी पदों पर एक ही समय में स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता।

(ग) किसी सरकारी कर्मचारी को ऐसे पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता, जिस पर किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी का धारणाधिकार (lien) हो।

12-क. जब तक किसी मामले में इन नियमों में अन्यथा कोई व्यवस्था न की गयी हो, किसी सरकारी कर्मचारी के किसी स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त होने पर उस पद पर धारणाधिकार (lien) प्राप्त हो जाता है और दूसरे पद पर उसका पहले से प्राप्त किया हुआ धारणाधिकार (lien) समाप्त हो जाता है।

13. जब तक किसी स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त सरकारी कर्मचारी का धारणाधिकार (lien) नियम 14 के अन्तर्गत निलम्बित अथवा नियम 14-ख के अन्तर्गत स्थानान्तरित नहीं कर दिया जाता, उस पद पर उसका धारणाधिकार (lien) बना रहता है—

(क) जब तक वह उस पद की ड्यूटी करता रहे;

(ख) जब वह बाह्य सेवा में हो, या किसी अस्थायी पद पर नियुक्त हो या किसी दूसरे पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो;

(ग) दूसरे पद पर स्थानान्तरित होने पर कार्य-ग्रहण काल में तब तक, जब तक वह स्थायी रूप से किसी निम्न वेतन वाले पद पर स्थानान्तरित न हो जाए और उस दशा में उसका धारणाधिकार (lien) भी नये पद पर उसी तिथि से स्थानान्तरित हो जाता है जिस तिथि से वह अपने पुराने पद से कार्यमुक्त होता है;

*(घ) जब कि वह छुट्टी पर हो, नियम 86 या 86-क के अधीन, जैसी भी दशा हो, स्वीकृत की गयी छुट्टी को छोड़कर; और

(ङ) जब वह निलम्बित हो।

* यह संशोधन 1 अप्रैल, 1965 से लागू किया गया